



# हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

## Board of School Education Haryana, Bhiwani

(Established Under Haryana Board of School Education Act, 1969)



“गीता जीवन गीत”

क्रमांक:— 11533/संचालन

दिनांक: 23.10.2024

### कोटेशन सूचना

विषय:— 10 फुटी पिक-अप वाहनों के किराए की राशि सभी करों सहित (टोल टैक्स/जी.एस.टी.) कुटेशन बारे।

दिनांक 16.11.2024 को प्रातः 07:00 बजे बोर्ड मुख्यालय से रूट अनुसार जिला मुख्यालयों पर जाने के लिए तथा दिनांक 16.11.2024 निर्धारित रूट के अन्तिम जिले पर रात्रि में ठहराव करते हुए दिनांक 17.11.2024 को परीक्षा समाप्ति उपरान्त रूट अनुसार अन्तिम पैकेट लेकर बोर्ड मुख्यालय भिवानी पर पहुंचाने के लिए 10 फुटी पिक-अप वाहनों के किराए की राशि सभी करों सहित (टोल टैक्स/जी.एस.टी.) कुटेशन बारे आमंत्रित किए जाते हैं, जिसका विवरण Annexure-1 में दिया गया है। Annexure-2 नियमों और शर्तों के अधीन है। कोटेशन दिनांक 29.10.2024 को दोपहर 02:00 बजे तक ई-मेल पते [ratesbseh@gmail.com](mailto:ratesbseh@gmail.com) पर भेजी जानी है।

यदि कोटेशनकर्ता सभी निर्देशों/शर्तों (Annexure-2) का पूरी तरह से पालन नहीं करता है तो कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा।

सक्षम अधिकारी की उपस्थिति में कोटेशन उसी दिन खोले जाएंगे।

सहायक सचिव (संचालन)



Hansi Road, Bhiwani-127021  
[www.bseh.org.in](http://www.bseh.org.in)



Digital India  
Power To Empower



# हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

## Board of School Education Haryana, Bhiwani

(Established Under Haryana Board of School Education Act, 1969)



“गीता जीवन गीत”

### Annexure-1

क्रमांक:- 11534/संचालन

दिनांक: 23.10.2024

NMMSS Exam Nov.-2024 दिनांक 17.11.2024 को आयोजित करवाई जानी है, जिसके प्रश्न-पत्रों की पेटियां एवं स्टेशनरी बैग दिनांक 16.11.2024 को प्रातः 07:00 बजे से बोर्ड मुख्यालय से जिला मुख्यालयों पर पिक-अप वाहनों के माध्यम से भेजे जाने हैं, ये वाहन दिनांक 16.11.2024 को निर्धारित रूट के अन्तिम जिले में रात्रि ठहराव करते हुए दिनांक 17.11.2024 को परीक्षा समाप्ति उपरान्त रूट अनुसार ही ओ.एम.आर. के सील्ड पैकेट, स्टेशनरी बैग एवं अन्य दस्तावेज/सामान लेकर वापिस बोर्ड मुख्यालय, भिवानी आएंगे। इस परीक्षा के लिए 10 फुटी पिक-अप वाहनों की कोटेशन किराए की राशि सभी करों सहित (टोल टैक्स/जी.एस.टी.) निम्नानुसार दी जानी है:-

क्र. स.	जिलावार रूट	किराये के लिए गाड़ी की संख्या व नाम	कोटेशन कर्ता द्वारा कोटेशन की जाने वाली किराए की राशि सभी करों (टोल टैक्स/ जी.एस.टी.) सहित
1	भिवानी से जीन्द-कैथल	10 फुटी पिक-अप	Rs. ....
2	भिवानी से अम्बाला-पंचकुला	10 फुटी पिक-अप	Rs. ....
3	भिवानी से गुरुग्राम-फरीदाबाद	10 फुटी पिक-अप	Rs. ....
4	भिवानी से फतेहाबाद-सिरसा	10 फुटी पिक-अप	Rs. ....
5	भिवानी से झज्जर-रेवाड़ी	10 फुटी पिक-अप	Rs. ....
6	भिवानी से पानीपत-करनाल	10 फुटी पिक-अप	Rs. ....
7	भिवानी से कुरुक्षेत्र-यमुनानगर	10 फुटी पिक-अप	Rs. ....
8	भिवानी से नूह-पलवल	10 फुटी पिक-अप	Rs. ....
9	भिवानी से चरखी दादरी-नारनौल	10 फुटी पिक-अप	Rs. ....
10	भिवानी से रोहतक-सोनीपत	10 फुटी पिक-अप	Rs. ....
11	भिवानी से भिवानी-हिसार	10 फुटी पिक-अप	Rs. ....
	कुल		


यह प्रमाणित किया जाता है कि मुझे कोटेशन नोटिस के निर्देश, नियम और शर्तें स्वीकार्य हैं और मेरे द्वारा कोटेशन में दी गई किराए की दरें सही हैं।

- कोटेशनकर्ता का नाम - .....
- फर्म/एजेंसी का नाम - .....
- फर्म/एजेंसी का पता - .....
- पैन नम्बर-.....
- जी.एस.टी.नम्बर-.....
- मोबाईल नम्बर और ई-मेल आई.डी. - .....
- फर्म/एजेंसी का रजि. न0-.....
- बैंक का नाम जिसमें कोटेशनकर्ता का खाता है-.....
- बैंक की शाखा का नाम-.....
- कोटेशनकर्ता का खाता नम्बर-.....
- बैंक शाखा के आई. एफ.एस.सी. कोड - .....
- मुझे उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, हरियाणा या किसी अन्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया है।

कोटेशनकर्ता के हस्ताक्षर  
मोहर सहित



Hansi Road, Bhiwani-127021  
www.bseh.org.in





# हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

## Board of School Education Haryana, Bhiwani

(Established Under Haryana Board of School Education Act, 1969)



“गीता जीवन गीत”

### Annexure-2

शर्तें निम्न प्रकार से हैं:-

1. किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत सामान साथ ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
2. सभी वाहन अच्छी हालत में तिरपाल व फट्टों सहित होनी चाहिए।
3. इस कार्य के लिए जो वाहन भेजे जाएं, उनके सभी कागजात व बिल्टी आदि पूरे होने चाहिए। सम्बन्धित ड्राइवर के लाईसैंस आदि की जांच करने व पुष्टि होने के पश्चात् ही वाहन बोर्ड कार्यालय में भेजा जाए।
4. उक्त सामान को समय पर निर्धारित स्थानों पर पहुंचाने की जिम्मेवारी आपकी होगी। यदि कोई वाहन रास्ते में खराब होता है तो उसके स्थान पर दूसरा वाहन समय पर उपलब्ध करवाने का दायित्व आपका होगा।
5. कार्य सम्पन्न होने के उपरान्त बिल प्रस्तुत करने के बाद ही किराए की राशि का भुगतान किया जाएगा।
6. टोल टैक्स की अदायगी आप द्वारा की जायेगी।
7. लोडिंग व अनलोडिंग का खर्च बोर्ड कार्यालय का होगा।
8. यदि बोर्ड द्वारा किन्हीं कारणों से इस तिथि में बदलाव/स्थगित किया जाता है तो इसकी सूचना आपको निर्धारित तिथि से 24 घण्टे पूर्व दे दी जाएगी, वह आपको मान्य होगी।
9. डीजल के रेट में बढ़ोतरी होती है तो आप द्वारा दिनांक 29.10.2024 को दी गई कुटेशन अनुसार ही दिनांक 16.11.2024 को वाहन उपलब्ध करवाने होंगे।
10. यदि आप द्वारा गाडी उपलब्ध करवाने में देरी/मना किया जाता है, तो बोर्ड कार्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।



एक कदम स्वच्छता की ओर



Hansi Road, Bhiwani-127021  
www.bseh.org.in



शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान  
सब पढ़ें सब बढ़ें



Digital India  
Power To Empower